

सरप्राइज़ मेडिकल बिल से सुरक्षा के लिए आपके अधिकार

जब आप किसी आपातकालीन स्थिति में इलाज करवाते हैं या जब किसी आउट-ऑफ़-नेटवर्क चिकित्सा सेवा प्रदाता द्वारा इन-नेटवर्क अस्पताल या एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर में आपका इलाज किया जाता है, तो आपको सरप्राइज़ बिलिंग या बैलेंस बिलिंग से सुरक्षा दी जाती है।

"बैलेंस बिलिंग" (कभी-कभी "सरप्राइज़ बिलिंग" कहा जाता है) क्या होती है?

जब आप किसी डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सेवाएँ लेते हैं, तो आपको सह-भुगतान, सहबीमा और/या कटौती-योग्य राशि जैसे खर्च अलग-से उठाने पड़ते हैं, जिसके चलते आपका बजट बढ़ जाता है। अगर आप किसी ऐसे सेवा प्रदाता के पास या अस्पताल में जाते हैं जो आपके हेल्थ प्लान के नेटवर्क में शामिल नहीं है, तो आपको अन्य खर्च देना पड़ सकता है या पूरे बिल का भुगतान करना पड़ सकता है।

“आउट-ऑफ़-नेटवर्क” का मतलब उन प्रदाताओं और अस्पतालों से है, जिनका आपके हेल्थ प्लान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आउट-ऑफ़-नेटवर्क चिकित्सा सेवा प्रदाताओं को आपके प्लान द्वारा कवर की जाने वाली राशि और किसी सेवा के लिए ली गई पूरी राशि के बीच के अंतर के बराबर रकम का बिल भेजने की अनुमति दी जा सकती है। इसे **“बैलेंस बिलिंग” कहा जाता है।** कुछ सेवाओं के लिए यह रकम आपकी इन-नेटवर्क लागतों से ज़्यादा हो सकती है और हो सकता है यह ऊपरी खर्च के लिए आपकी तयशुदा वार्षिक सीमा के मुताबिक न हो।

“सरप्राइज़ बिलिंग” एक ऐसा बैलेंस बिल है जो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। यह तब हो सकता है जब आप अपनी देखभाल में शामिल होने वाले लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते — जैसे कि आपात स्थिति में या जब आप किसी इन-नेटवर्क अस्पताल में जाने का समय तय करते हैं, लेकिन उम्मीद के विपरीत एक आउट-ऑफ़-नेटवर्क अस्पताल द्वारा आपका इलाज किया जाता है।

इन सेवाओं के लिए आपको बैलेंस बिलिंग का भुगतान नहीं करना पड़ेगा :

आपातकालीन सेवाएँ

अगर आपको किसी आपातकालीन चिकित्सा स्थिति का सामना करना पड़ता है और आप किसी आउट-ऑफ़-नेटवर्क चिकित्सा सेवा प्रदाता या अस्पताल से आपातकालीन सेवाएँ लेते हैं, तो वह प्रदाता अस्पताल ज़्यादा-से-ज़्यादा आपके प्लान की इन-नेटवर्क लागत शेयर करने की राशि के बराबर बिल भेज सकता है (जैसे कि सहभुगतान, कटौती-योग्य राशि और/या सहबीमा)। इन आपातकालीन सेवाओं के लिए आपको बैलेंस राशि का बिल **नहीं** दिया जा सकता। इसमें वे सेवाएँ शामिल हैं जो आपको स्वास्थ्य स्थिर होने के बाद मिल सकती हैं, बशर्ते आप स्थिर होने के बाद की इन सेवाओं के लिए लिखित सहमति नहीं देते और बैलेंस बिल न पाने के लिए अपने सुरक्षा कवर नहीं छोड़ते।

इन-नेटवर्क अस्पताल या एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर की कुछ सेवाएँ

जब आप किसी इन-नेटवर्क अस्पताल या एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर की सेवाएँ लेते हैं, तो सेवा देने वाले कुछ लोग नेटवर्क से बाहर के हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, इन सेवाओं के लिए ये आपको आपके प्लान की इन-नेटवर्क लागत शेयर करने की राशि से ज़्यादा बिल नहीं भेज सकते। यह नियम आपातकालीन चिकित्सा, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, लैब, नियोनेटोलॉजी, सहायक सर्जन, डॉक्टर या गहन चिकित्सा सेवाओं पर लागू होता है। इन सेवाओं के लिए बैलेंस बिल **नहीं** भेजा जा सकता। साथ ही, आपको बैलेंस बिल न भेजने के लिए आपसे अपने सुरक्षा कवर छोड़ने के लिए भी **नहीं** कहा जा सकता।

अगर आपको इन-नेटवर्क अस्पतालों में अन्य सेवाएँ मिलती हैं, तो आउट-ऑफ़-नेटवर्क सेवा देने वाले चिकित्सा सेवा प्रदाता आपको तब तक बैलेंस बिल **नहीं** भेज सकते, जब तक कि आप लिखित सहमति देकर अपने सुरक्षा कवर नहीं छोड़ देते।

आपको बैलेंस बिलिंग के लिए कभी भी अपने सुरक्षा कवर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको आउट-ऑफ़-नेटवर्क जाकर चिकित्सा देखभाल सेवा हासिल करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने प्लान के नेटवर्क में शामिल कोई भी चिकित्सा सेवा प्रदाता या अस्पताल चुन सकते हैं।

जब बैलेंस बिल की अनुमति नहीं होती, तो आपके पास ये सुरक्षा कवर भी होते हैं :

- आप केवल लागत के अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार हैं (जैसे कि सह-भुगतान, सहबीमा और कटौती-योग्य राशि, जिसका आप तभी भुगतान करेंगे जब चिकित्सा सेवा प्रदाता या अस्पताल, इन-नेटवर्क चिकित्सा सेवा प्रदाता या अस्पताल हो)। आपका हेल्थ प्लान आउट-ऑफ़-नेटवर्क चिकित्सा सेवा प्रदाताओं और अस्पतालों को सीधे भुगतान करेगा।
- आमतौर पर, आपके हेल्थ प्लान में ये सुविधाएँ होनी चाहिए :
 - पहले से मंजूरी (पूर्व अनुमति) लिए बिना आपातकालीन सेवाएँ कवर होनी चाहिए।
 - आउट-ऑफ़-नेटवर्क अस्पतालों द्वारा दी जाने वाली आपातकालीन सेवाएँ कवर होनी चाहिए।
 - आप प्रदाता या अस्पताल को जो भुगतान करेंगे (लागत शेयर करना), उसके आधार पर इन-नेटवर्क या अस्पताल को भुगतान किया जाए और उस राशि को आपको होने वाले फ़ायदों के विवरण में दिखाया जाए।
 - अगर आपने आपातकालीन सेवाओं या आउट-ऑफ़-नेटवर्क सेवाओं के लिए कोई भुगतान किया है, तो उस राशि को आपकी कटौती-योग्य और ऊपरी खर्च की सीमा के तहत गिना जाना चाहिए।

अगर आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से बिल भेजा गया है, तो आप

<https://www.cms.gov/nosurprises/consumers> पर जाकर या फिर 1-800-985-3059 पर कॉल करके फ़ेडरल सरकार के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप 'आरकैंसस डिपार्टमेंट ऑफ़ इंश्योरेंस' के पास भी

यहाँ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं <https://insurance.arkansas.gov/pages/consumer-services/consumer-services/file-a-complaint/>.

फ़ेडरल कानून के तहत अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए

<https://www.cms.gov/nosurprises/consumers> पर जाएँ।